मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2007 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2007 (चैत्र 8, 1929)

समय प्रात: 10.30 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का अट्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष का (वाणिज्यिक) तथा (राजस्व प्राप्तियां) पटल पर रखेंगे.

(3) चौधरी चन्द्रभान सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर में स्थित विद्युत कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मेहरबान सिंह रावत, गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के सबलगढ़ में अवर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य, इंदौर नगर में स्थित गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा सदस्यों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले में मौसंबी एवं संतरे की फसल पर गमोसिस रोग का प्रकोप होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-26-शिवपुरी से निर्वाचित सदस्य, श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. कमलापत आर्य, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का तेरहवां, चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रुस्तम सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 7 सन् 2007) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9सन् 2007) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री राघवजी, बीस सूत्र कार्यान्वयन मंत्री, मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री, महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन् 2007) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 मार्च, 2007